Ll.b.
6semester
Moot court

मूट कोर्ट का अर्थ, महत्व एवं उद्देश्य

मूट का अर्थ

विधि के विद्यार्थियों की टोली जो किसी विधिक समस्या पर चर्चा करते है।

मूट कोर्ट का अर्थ

विधि के विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम न्यायालय का गठन करना मूट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह न्यायालय द्वारा निर्णित किसी विनिर्दिष्ट वाद अथवा प्रयोजनार्थ तैयार किया जिससे किसी काल्पनिक वाद पर एक प्रकार का वाद विवाद होता है।

मूट कोर्ट का महत्व

मूट कोर्ट (आभासी) न्यायालय में भागीदारी व्यवहारिक कुशलता का विकास करती है। इसमे विधि के विद्यार्थियो के आत्मविश्वास का विकास होता है। यह विधि व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यह विद्यार्थियो को वाद को या वाद को तैयार करने तथा लिखित कथनो और बहस के बिन्दुओ को तैयार करने के अतिरिक्त आदेशो आदि को करने का अवसर प्रदान करता हैं।

मूट कोर्ट में भागीदारी न केवल विधिक कुशलता का विकास करती है। बल्कि वाद

प्रस्तुत करने की कुशलता का भी विकास करती है। इसमे विद्यार्थी अनुनय करने की कला विकास में भी इसमे लोगो के सामने बोलने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।

मूट कोर्ट से विद्यार्थियो में अदालत के कमरे में शिष्टाचार के साथ अपने पक्ष पर बयान करने की योग्यता का विकास होता है। इसमे भागीदारी द्वारा विद्यार्थियो से विधिक विवादको को पहचानने, विधिक सामग्री एकत्र, बहस की तैयारी करे बिना उत्तेजित हुए बिना बहस करने तथा न्यायालय अथवा विरोधी पक्ष से पूछे गये प्रश्नो का उत्तर देने की योग्यता विकसित होती है, ये गुण विधि व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक समझे जाते है।

मूट कोर्ट में भाग लेकर विद्यार्थियों को अधिवक्ता के कर्तव्यो का भी ज्ञान हो जाता है। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह न्याय प्रशासन मे न्यायालय की सहायता करेगें अधिवक्तागण

वाद से सम्बन्धित सामग्री संग्रह करते हैं और तर्क द्वारा विशुद्ध निर्णय पर पहुँचने पर न्यायालय की सहायता करते हैं वे न्यायालय के अधिकारी होते हैं।

वाद्यो को दृष्टान्त स्वरूप प्रस्तुत करना एक कला है। तथा यह कला वाद को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कम से कम महत्वपूर्ण वाद्यो को पेश करना अधिक समझा जाता है। मुवक्किल से संव्यवहार करना भी एक कला है।

उपरोक्त एंव न्यायालयों की कार्यवाही के अलावा मुवक्किल तथा न्यायधीशो के साथ अधिवक्ताओ के संव्यवहार का सफलतापूर्वक अवलोकन करके प्राप्त किया जा सकता है।

मूट कोर्ट का उद्देश्य

मूट कोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मूट कोर्ट द्वारा विधि के विद्यार्थियो में अधिवक्ता के कर्तव्यो का ज्ञान भी हो जाता है एंव विधि के विद्यार्थियो को मूट कोर्ट में भागीदारी इस लिए भी

आवश्यक है। जिससे विद्यि के व्यवसाय को सफल बनाने एंव न्यायालय में बिना डरे एंव बिना उत्तेजित हुए अपनी बात को न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तथा विद्यि के विद्यार्थियो में बोलने की कला में आत्म विश्वास का विकास कराना भी मूट कोर्ट के द्वारा मुख्य उद्देश्य में से एक है।

मूट कोर्ट में भाग लेकर विद्यार्थियो को अधिवक्ता के कर्तव्यो का ज्ञान भी हो जाता है। अधिवक्ताओ से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करेगे। उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है। कि मूट कोर्ट का उद्देश्य मूट कोर्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को वाद पत्र तथा लिखित कथन प्रस्तुत करने, साक्षियों की परीक्षा तथा प्रतिपरिक्षा करने एंव, वाद पर बहस करने आदि की पूर्ण जानकारी आव० है। मूट कोर्ट उन्हे उनके सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यवहारिक समस्याओ अथवा उन्हे समुपदेशित किये गये

वाले या विवादको को लागू करने का व्यवहार प्रदान करेगा। वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए बिना ही व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

मूट कोर्ट प्रक्रिया

ऐसे मूट कोर्ट का संचालन कोई काल्पनिक वाद तैयार करके किया जाता है। विधि के छात्रो को दोनो पक्षो का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो समूह में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक पक्ष को एक समूह का पूरा कार्य सौंप दिया जाता है, जबकि दूसरे समूह को विरोधी पक्ष के प्रतिनिधित्व के सभी कार्य सौंप दिये जाते है। विधि छात्र जो मूट कोर्ट में भागीदारी करते है, अपनी सुविधा अनुसार अपने कार्यों का बंटवारा कर लेते है। काल्पनिक वाद दीवानी या आपराधिक हो सकता है वह वाद या तो रिट याचिका प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में हो सकता है या किसी

दावे में न्यायालय में प्रार्थना पेश करने के लिए हो सकता है। विधि के छात्रो को वकालत पेशो के सभी पहलुओ से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन सीखना होता है।

दीवानी वाद के लिए किसी पक्षकार को एक सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होता है। सम्बन्धित पक्ष को न्यायालय का उल्लेख करना होता है। जहाँ वाद प्रस्तुत किया जाता है। वादी तथा प्रतिवादी दोनो का नाम और पता वाद में देना आवश्यक होता है। वादी के लिए वाद के तथ्य, वाद हेतुको तथा अनुतोष के दावो का उल्लेख किया जाना चाहिए। वाद-पत्र में सम्पत्ति का विवरण तथा उसकी चौहद्दी और सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार परिनिर्धारण का अभिलेख या सर्वेक्षण की संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

वाद फाइल किये जाने के उपरान्त विरोधी पक्ष को सूचना दी जाती है। और और उसे अपने निजित कथन मे वाद-पत्र

के तथ्यो को इन्कार करने अथवा स्वीकार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। लिखित कथन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII की प्रक्रिया के अनुसार, वाद पत्र की जॉच करने के वाद जमा किये जाते है।

वाद-पत्र का लेखन एक कला है। जिसमे वाद के तथ्यो का उल्लेख होता है। वाद-पत्र परिच्छेदो में विभाजित होना चाहिये, जिसमे तिथि के अनुसार घटनाओ का सिलसिलेवार उल्लेख होना चाहिए। वाद-पत्र में वाद हेतुको, स्थान, तिथि वाद मूल्य तथा किये गये अनुतोष का उल्लेख होना चाहिए। वाद का तर्क, बुद्धिमानी से तैयार किया जाना चाहिए। क्योकि यही वाद में सफलता प्राप्त करने का आधार बनता है। वाद का तर्क ऐसा होना चाहिए। जिससे न्यायधीश सत्यता की जॉच कर सके। मूट कोर्ट में भागीदारी करने वाले विधि-छात्रो को चाहिए कि वे तर्को को पक्षकारो के अधिकथन

अनुसार तैयार करे। वादी पक्ष की तथ्य से बहस करते हुए। सूत्र [विधि-छात्र] को चाहिये कि वे विरोधी पक्ष तथा उसके गवाहो की स्वीकृतियाँ तथा अस्वीकृतियो को ध्यान में रखे। वादी के पक्ष में सभी मजबूत बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहियें। क्योंकि उसी के आधार पर वाद में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त बातो को ध्यान में रखते हुए, सूत्र (विधि-छात्र) सफल अधिवक्ता के गुण प्राप्त कर सकते है। सूत्र को विधि पर बहस करना चाहिए। न कि तथ्य पर, जो वाद की विषय वस्तु है। मूट कोर्ट में वाद-पत्र का प्रस्तुतीकरण, सूत्र [विधि-छात्र] की बुद्धिमानी तथा योग्यता पर आधारित होता है।

मूट कोर्ट किसी विशिष्ट विषय पर भी आयोजित किया जा सकता है। मूट कोर्ट में विधि-छात्र अपने पक्ष के लिए आशुवचन तथा लिखित कथन तथा अपने पक्ष में बहस प्रस्तुत करना सीखते है।